न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	74/2020
GSMS प्रकरण संख्या	2020/00218
वाद दायर दिनांक	19.10.2020
वाद निर्णय दिनांक	22.07.2021

उनवान

(1) मांगीलाल पि.कजोड़ खटीक नि.खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

(1) भागचन्द पि.कजोड़ खटीक नि.खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(2) मगनीराम पि.कजोड़ खटीक नि.खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(3) ताराचन्द पि.कजोड़ खटीक नि.खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(4) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(5) तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

उपस्थित वकील वादी	श्री राधेश्याम पारीक एंव वादी स्वंय
उपस्थित वकील प्रतिवादीगण	प्रतिवादी सं.1 से 3 स्वंय
उपस्थित वकील प्रतिवादीगण	श्री पैरोकार सरकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 RTA 1955 व धारा 136 LRA 1956

आदेश

(1) वादी द्वारा वाद-पत्र माध्यम अधिवक्ता पेश कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि निम्नाकिंत कृषि भूमि साबिक रेकार्ड से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने नाथी बैवा भैरू नानी पुत्री भैरू नाई नि.आसीन्द से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 50000/- रूपये में दिनांक 21.03.1993 को खरीद की तथा खरीद अनुसार नामान्तरण संख्या 2310 खोला जाकर जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 के खाता संख्या 373 पर खरीददार भागचन्द मगनीराम ताराचन्द मांगीलाल पि.कजोड़ खटीक नि.खातोला के नाम दर्ज किया गया तभी से खरीददार खरीदशुदा आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है -

ग्राम का नाम	संवत	आ.नं.	रकबा
आसीन्द	2033-2036	२००८	2)३
		२००९	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		२०१४/1	[illegible]
		२०१६	[illegible]
	कुल योग	किता 6	६)१

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

(2) हाल सैटलमेंट में उक्त विवादग्रस्त आराजियात के निम्न नये आराजी नम्बर कायम किये गये -

हाल आ.नं.	रकबा	गत आ.नं.	रकबा
5445	0.15	२०१६	ll)३
5503	0.18	२०१३ २०१४/1	lll) १)
5508	0.84	२००८ २००९ २०१२	2)३ l)३ १)२
किता 3	1.17		

(3) हाल सेटलमेन्ट में खरीदशुदा उक्त आराजियात खरीददार भागचन्द मगनीराम ताराचन्द मांगीलाल पि.कजोड़ खटीक के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं कर पुनः विक्रेता नाथी बेवा भैरू नानी पुत्री भैरू नाई सा.देह खातेदार के नाम दर्ज कर दी गयी जिसका नये रेकार्ड में अमल हेतु स्वीकृत नामान्तरण संख्या 98 स्वीकृति दिनांक 16.09.1994 में त्रुटी से वादी मांगीलाल का नाम छूट गया तथा उक्त वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गयी जिसे दुरूस्त करा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है।

(4) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्द प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित फरमायी जावे कि ग्राम आसीन्द पटवार हल्का आसीन्द के हाल आ.नं.5445,5503,5508 कुल किता 3 रकबा 1.17 हैक्टर भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें।

(5) प्रस्तुत वादपत्र बाद जांच पत्रावली संख्या 74/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है।

(6) वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त आराजियात को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने शामलाती में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के क्रय करके क्रय से समय से हम खरीददार काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्त भूमि का नामान्तरण करते समय भूलवश वादी का नाम इन्द्राज करने से छूट गया है। उक्त वादग्रस्त आराजियात को हम चारों भाइयों के नाम दर्ज करने मे कोई आपत्ति नहीं है। राजीनामा शामिल पत्रावली है।

(7) प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की और से पैरोकार सरकार ने उपस्थित न्यायालय होकर कथन किया कि प्रकरण में राज्य सरकार औपचारिक पक्षकार है तथा प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं होता है। अतः जवाब दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

(8) वकील वादी की इस्तदुआ पर वकील वादी एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने वक्त बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो को पुनः दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः राजीनामा अनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज का आदेश प्रदान करावें।

(9) बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात / उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर आया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने शामलाती में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से उक्त वादग्रस्त आराजी को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसका नवीन राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज हेतु स्वीकृत नामान्तरण संख्या 98 स्वीकृति दिनांक 16.09.1994 में त्रुटी से वादी मांगीलाल का नाम छूट गया तथा उक्त वादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गयी जिसे दुरूस्त करा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज किया जाना न्यायाहित में उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:57 IST
Reason: SelfAttested

—:क्रियात्मक निर्णय:—

अतः वादी द्वारा माध्यम अधिवक्ता प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 [illegible] 1955 व धारा 136 LRA 1956 स्वीकार किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादी को निम्नानुसार सह खातेदार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	खातेदार का विवरण	आ.नं.	रकबा
	आसीन्द	मांगीलाल पि.कजोड़ ¼ खटीक सा.खातोला खातेदार	5445	0.15
		ताराचन्द पि.कजोड़ ¼ खटीक सा.खातोला खातेदार	5503	0.18

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

		भागचन्द पि.कजोड़ ¼ खटीक सा.खातोला खातेदार मगनीराम पि.कजोड़ ¼ खटीक सा.खातोला खातेदार	5508	0.84
		कुल योग	किता 3	1.17

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर करें। निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:57 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	74/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00218
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	19.10.2020
प्रकरण निर्णित होने की दिनांक	22.07.2021

उनवान

(1) मांगीलाल पि.कजोड़ खटीक नि.खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा — वादी

बनाम

(1) भागचन्द पि.कजोड़ खटीक नि.खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(2) मगनीराम पि.कजोड़ खटीक नि.खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(3) ताराचन्द पि.कजोड़ खटीक नि.खातोला तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(4) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय आसीन्द जिला भीलवाड़ा
(5) तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा — प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम पारीक व वादी स्वंय तथा प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 स्वंय की उपस्थिति में इस वाद-पत्र के आज तारीख 22.07.2021- को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि –

दावा वादी डिक्री किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि मे वादी को निम्नानुसार सह खातेदार घोषित किया जाता है –

क्र.सं.	नाम ग्राम	खातेदार का विवरण	आ.नं.	रकबा
	आसीन्द	मांगीलाल पि.कजोड़ ¼ खटीक सा.खातोला खातेदार	5445	0.15
		ताराचन्द पि.कजोड़ ¼ खटीक सा.खातोला खातेदार	5503	0.18
		भागचन्द पि.कजोड़ ¼ खटीक सा.खातोला खातेदार	5508	0.84
		मगनीराम पि.कजोड़ ¼ खटीक सा.खातोला खातेदार		
		कुल योग	किता 3	1.17

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

इस वाद के खर्चे लेखे ---××××--- रुपये की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर ---××××---प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ---××××---द्वारा ---××××---वादी को दिया जावे।

यह आज तारीख 22.7.2021- को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय मुद्रा से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

वाद के खर्चे

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:57 IST
Reason: SelfAttested

वदी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद–पत्र के लिए स्टाम्प	2		शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प		
2.शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	1		अर्जी के लिए स्टाम्प		
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	1		प्लीडर की फीस	–	
4.रूपयें पर प्लीडर की फीस	–		सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–		आदेशिका की तामील	–	
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	3		कमिश्नर की फीस	–	
7. आदेशिका की तामील	–			–	
योग	7		योग	–	

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा